

**रंगित-IV जलविद्युत परियोजना, सिक्किम की पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित शर्तों का अनुपालन
संबंधी छमाही प्रगति रिपोर्ट**

(मार्च, 2026 तक)

1	परियोजना का नाम	रंगित-IV जलविद्युत परियोजना (3X40 मेगावाट), सिक्किम																		
2	परियोजना की किस्म	जलविद्युत परियोजना																		
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या एवं तारीख क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	संख्या जे.12011/11/2007-आईए-1, दिनांक -16/05/2007 <table border="1"> <thead> <tr> <th>दिनांक</th><th>फाइल संख्या</th><th>वन भूमि (हेक्टेयर)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.12.2007</td><td>3-एसकेसी072/2007-एसएचआई/2419-21</td><td>24.7523</td></tr> <tr> <td>09.01.2012</td><td>3-एसकेसी072/2007-एसएचआई/2861-62</td><td>0.2</td></tr> <tr> <td>06.11.2023</td><td>एफपी/एसके/एचवाईडी/आईआरआरजी/402342/2022/178</td><td>1.2721</td></tr> <tr> <td>17.10.2024</td><td>एफपी/एसके/टीआरएनएस/450413/2020/362</td><td>4.4203</td></tr> <tr> <td colspan="2">कुल भूमि (हेक्टेयर)</td><td>30.6447</td></tr> </tbody> </table>	दिनांक	फाइल संख्या	वन भूमि (हेक्टेयर)	26.12.2007	3-एसकेसी072/2007-एसएचआई/2419-21	24.7523	09.01.2012	3-एसकेसी072/2007-एसएचआई/2861-62	0.2	06.11.2023	एफपी/एसके/एचवाईडी/आईआरआरजी/402342/2022/178	1.2721	17.10.2024	एफपी/एसके/टीआरएनएस/450413/2020/362	4.4203	कुल भूमि (हेक्टेयर)		30.6447
दिनांक	फाइल संख्या	वन भूमि (हेक्टेयर)																		
26.12.2007	3-एसकेसी072/2007-एसएचआई/2419-21	24.7523																		
09.01.2012	3-एसकेसी072/2007-एसएचआई/2861-62	0.2																		
06.11.2023	एफपी/एसके/एचवाईडी/आईआरआरजी/402342/2022/178	1.2721																		
17.10.2024	एफपी/एसके/टीआरएनएस/450413/2020/362	4.4203																		
कुल भूमि (हेक्टेयर)		30.6447																		
4	स्थान क) जिला ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	दक्षिण एवं पश्चिम सिक्किम 27° 13' 10" उ० 88° 13' 10" पू०																		
5	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड एवं टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	कार्यपालक निदेशक जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड रंगित-IV जलविद्युत परियोजना , सिक्किम-737121 ई मेल : rangit4@nhpc.nic.in कार्यपालक निदेशक पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग निगम मुख्यालय, एनएचपीसी लिमिटेड, कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121003 टेलीफोन: 0129-2250111 ई मेल : envdivmgn-co@nhpc.nic.in																		
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	अनुलग्नक - I के अनुसार																		
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि विवरण) क) जलमग्न क्षेत्र (वन भूमि एवं गैर-वन भूमि)	क) वन भूमि विवरण (1) सतह i) भूमि : 8.4658 हेक्टेयर																		

		ii) सड़क : 1.4280 हेक्टेयर iii) खनन क्षेत्र : 0.2080 हेक्टेयर iv) जलमग्न क्षेत्र : 11.3740 हेक्टेयर (2) भूमिगत भूमि : 3.2765 हेक्टेयर (3) अतिरिक्त वन भूमि : 0.200 हेक्टेयर, 1.2721 हेक्टेयर एवं 4.4203 हेक्टेयर कुल वन भूमि (1+2+3) : 30.64 हेक्टेयर
	ख) अन्य	ख) निजी भूमि (1) म्युटेशन के अंतर्गत निजी भूमि : 8.061 हेक्टेयर
8	जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्ताएकारों की गणना सहित परियोजना प्रभावित परिवारों का विवरण क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी ख) अन्य	परियोजना प्रभावित परिवार : 42 ग्रामीण परिवारों की संख्या : 42 शहरी परिवारों की संख्या : शून्य (क) अनु. जा. = 05, अनु. ज. ज = 15 (ख) अन्य = 22
9	वित्तीय ब्यौरा क) परियोजना लागत मूल योजना के अनुसार ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च। ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए नियतन। घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च।	(क) ₹ 938.29 करोड़ आईडीसी तथा एफसी सहित (अक्टूबर 2019 पीएल) एवं मूल आवंटन की बिड राशि ₹ 165 करोड़ (ख) 1792.17 करोड़. जेपीसीएल की अधिग्रहण लागत सहित एनएचपीसी द्वारा अधिग्रहण के बाद जेपीसीएल द्वारा (31 मार्च, 2026 तक) (ग) मूल आवंटन ₹ 10.525 करोड़ था जिसे संशोधित कर ₹ 11.62 करोड़ कर दिया गया। (घ) ₹ 32.55 करोड़ (अनुलग्नक-1 के अनुसार)
10	वन भूमि की आवश्यकताएं क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई की स्थिति	(i) एमओईएफ & सीसी के पत्र सं. 3-एसकेसी 072/2007-एसएचआई/2410-21, दिनांक 26 दिसंबर 2007 द्वारा 24.7523 हेक्टेयर वन भूमि की डायवर्जन को मंजूरी (ii) पत्र सं. 3 एसकेसी 072/2007-एसएचआई/2861-62 दिनांक 9 जनवरी 2012 के माध्यम से 0.20 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि के डायवर्जन की मंजूरी (iii) 1.2721 हेक्टेयर अतिरिक्त वनभूमि पत्र सं एफपी/एसके/एचवाईडी/आईआरआरआईजी/402342/2022/178 दिनांक 06 नवंबर 2023 (iv) 4.4203 हेक्टेयर अतिरिक्त वनभूमि पत्र सं एफपी/एसके/टीआरएनएस/450413/2020/362 दिनांक 17.10.2024 डेटा उपलब्ध नहीं है। (पिछले परियोजना प्रस्तावक ने मार्च 2021 में वर्तमान प्रस्तावक मेसर्स जेपीसीएल, एनएचपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को परियोजना सौंपते समय डेटा उपलब्ध नहीं कराया था।)

11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक एवं/अथवा नियोजित) ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और/अथवा नियोजित)	01 जुलाई, 2008 को जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्माण शुरू किया गया। परियोजना को फिर से शुरू करने की तिथि: 30.03.2021 को जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा अर्थात भारत सरकार द्वारा निवेश की अनुमोदन के उपरान्त। नियोजित : दिसंबर 2026
12	विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी तक आरम्भ नहीं की गई है	परियोजना जुलाई 2008 में जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू की गई थी। हालांकि, वित्तीय संकट के कारण परियोजना का निर्माण नवंबर 2013 से अटका हुआ था। इसके बाद कॉर्पोरेट लेनदारों ने एनसीएलटी के माध्यम से सीआईआरपी का आह्वान किया। माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) द्वारा संकल्प योजना के अनुमोदन के बाद, एनएचपीसी लिमिटेड ने जेपीसीएल को 31.03.2021 को अधिग्रहित कर लिया है। अब, रंगित-IV जल विद्युत परियोजना का शेष निर्माण कार्य जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा: क) मानीटरिंग समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	अपर निदेशक (आईए), के पत्र दिनांक 14.01.2009 द्वारा एमओईएफ, नई दिल्ली द्वारा एक निगरानी समिति का गठन किया गया तथा निगरानी समिति की चार बैठकें आयोजित की गई थीं। पिछली बैठक 30 जनवरी 2013 को आयोजित हुई थी। परियोजना का निर्माण कार्य स्थगित होने के कारण आगे की निगरानी समिति की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। 31.03.2021 में एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा मेसर्स जेपीसीएल के अधिग्रहण के अनुसरण में एक नई बहुआयामी निगरानी समिति का गठन पत्र सं. फा.सं.जे-12011/11/2007-आईए.आई(आर) दिनांक 23.09.2022 द्वारा किया गया है। मानीटरिंग समिति की बैठक 18.02.2025 को आयोजित की गई एवं बैठक का कार्यवृत्त पर्यावरण व वन मंत्रालय, सिक्किम सरकार के पत्र दिनांक 24.03.2025 द्वारा को प्रस्तुत किया गया है। दौरों की संख्या: 08 (पिछला दौरा विगत प्रस्तावक यानी मेसर्स जेपीसीएल की अवधि के दौरान 30.01.2013 को हुआ था)
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट	शर्तों के अनुपालन की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी अनुलग्नक-II में उल्लिखित है।

नोट:

- ईसी पत्र दिनांक 16.5.2007 मेसर्स जेपीसीएल (पिछला परियोजना प्रस्तावक) को जारी किया गया था और अंतिम छह मासिक रिपोर्ट पत्र : JT:ADMN:2014 दिनांक 12.01.2015 द्वारा एमओईएफ, शिलोंग को प्रस्तुत किया गया था।
- एनएचपीसी ने 31.03.2023 को मेसर्स जेपीसीएल का अधिग्रहण कर लिया। एनएचपीसी द्वारा मेसर्स जेपीसीएल का अधिग्रहण करने के परिणामस्वरूप, एमओईएफ एंड सीसी के पत्र दिनांक 23.02.2022 ने स्पष्ट किया कि ईसी में निर्धारित शर्तों का अनुपालन अब मेसर्स जेपीसीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा किया जाएगा।
- तदनुसार, मेसर्स जेपीसीएल (एनएचपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) ने पत्र दिनांक 31.05.2022 (मार्च, 2022 को समाप्त) के माध्यम से छह मासिक रिपोर्ट जमा करना शुरू कर दिया है। इस छह मासिक रिपोर्ट में पिछले परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईसी के अनुपालन से संबंधित डेटा/जानकारी भी शामिल है, जो मंत्रालय को दिनांक 12.01.2015 को सौंपी गई पिछली छह मासिक रिपोर्ट में बताया था।

अनुलग्नक -II		
भाग-अ: विशिष्ट शर्तें:		
क्र. सं.	रंगित-IV परियोजना की ईसी पत्र दिनांक 16.05.2007 में निर्धारित शर्तें	अनुपालन की स्थिति (मार्च, 2026 तक)
i	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना का प्रस्ताव तीन साल में पूरा किया जाना है।	- वर्ष 2007-08 के दौरान पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत मूल जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना हेतु ₹ 206.4 लाख का प्रावधान था। इंजीनियरिंग तथा बायोइंजीनियरिंग कार्यों के कार्यान्वयन के लिए चार साल एवं रखरखाव लागत हेतु तीन साल का अनुमानित प्रावधान निर्धारित किया गया था। - पिछले परियोजना प्रस्तावक (जेपीसीएल) ने जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के कार्यान्वयन के लिए सिक्किम सरकार के वन पर्यावरण और वन्यजीव प्रबंधन विभाग को दो करोड़ रुपये जमा किए थे। - राज्य सरकार, सिक्किम ने पत्र संख्या 1225/GOS/FEWMD दिनांक 28.03.12 के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना की राशि को संशोधित श्रम मजदूरी तथा अन्य निर्माण सामग्री की लागत में वृद्धि के अनुसार संशोधित कर रु. 346.59 लाख कर दिया। - जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के कार्य भू-उपयोग एवं पर्यावरण प्रभाग, दक्षिण सिक्किम एवं पश्चिम सिक्किम द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं। - राज्य वन विभाग, सिक्किम ने दिनांक 25.09.2024 के पत्र के माध्यम से कुल 2.0 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग-पत्र उपलब्ध कराया है।
ii	यदि कोई वन्यजीव और/या राष्ट्रीय उद्यान परियोजना स्थल के 10 किमी के दायरे में मौजूद है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।	परियोजना स्थल के 10 किमी के दायरे में कोई वन्यजीव या राष्ट्रीय उद्यान मौजूद नहीं है। इसलिए एमओईएफ व सीसी के पत्र दिनांक 26.12.2007 (बिंदु V, वन मंजूरी) के संदर्भ में भारतीय वन्यजीव बोर्ड (आईबीडब्ल्यूएल) से कोई मंजूरी नहीं ली गई है।
iii	एनपीआरआर-2003 के आर एंड आर पैकेज के अनुसार परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए।	सिक्किम सरकार द्वारा आर एंड आर पैकेज को मंजूरी दे दी गई है और संबंधित जिला कलेक्टरों (पश्चिम और दक्षिण सिक्किम) को पूर्ववर्ती जेपीसीएल द्वारा सभी लाभार्थियों को संवितरण के लिए पूरा भुगतान किया गया है।
iv	आर एंड आर के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और एक महिला लाभार्थी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने चाहिए।	सिक्किम सरकार द्वारा आर एंड आर पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया गया था और सभी लाभार्थियों को पूरा भुगतान किया जा चुका है।

v	उच्च ध्वनि स्तर उत्पन्न करने वाले सभी उपकरणों को पूरी तरह से शांत किया जाना है (शोर में कमी के उपाय)।	सभी संभावित ध्वनि उत्पन्न करने वाले मशीनों का नियमित रूप से रख-रखाव किया जा रहा है एवं ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी उपकरणों का समय पर रख-रखाव करें जिससे उच्च शोर उत्पन्न होने की संभावना ना हो। साइटों पर काम कर रहे सभी डीजल जेनरेटर (डीजी) से उत्पन्न होने वाले शोर को नियंत्रित करने के लिए एक ध्वनिक संलग्नक है जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिक्किम के मानदंडों को पूरा करता है।
vi	मलबा का एकत्रीकरण व संकलन मलबा निपटन स्थलों पर किया जाना चाहिए तथा डंप साइट बाढ़ के उच्च स्तर (अच एफ अल) से ऊपर होना चाहिए। डम्पिंग स्थलों पर उपयुक्त रिटेनिंग दीवारों का निर्माण किया जाना है ताकि ऊर्ध्वाधर ढलान पर अधिकतम स्थान का उपयोग कर मलबा को रखा जा सके। ढीले मलबे को परत दर-परत संकुचित किया जाना चाहिए। वर्षा ऋतू के दौरान बाढ़ के पानी से डम्पिंग स्थलों की रक्षा के लिए बोल्टर क्रेट तथा चिनाई की दीवार विकसित किया जाएगा।	एनएचपीसी द्वारा जेपीसीएल के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, उत्खनन से निकले मलबे का निपटान दो स्वीकृत डंपिंग स्थलों पर किया जाएगा। इन दोनों डंपिंग स्थलों पर पर्यावरण-पुनर्स्थापना कार्य, मलबे के निपटान के पूरा होने के बाद शुरू किया जाएगा।
vii	बांध प्रवासी मत्स्य प्रजातियों के मुक्त आवागमन में बाधा के रूप में कार्य करेगा। भंडारण के लिए एक हैचरी विकसित की जानी चाहिए, जैसा कि पर्यावरण प्रबंधन योजना में प्रस्तावित है।	मत्स्य प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में, तत्कालीन परियोजना प्रवर्तक (मेसर्स JPCL) द्वारा मत्स्य प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए केंद्रीय अंतर्देशीय शीतजल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, भीमताल, उत्तराखंड से संपर्क किया गया था। तथापि, संस्थान की ओर से उत्तर अभी भी अपेक्षित है। मेसर्स JPCL के NHPC द्वारा अधिग्रहण के उपरांत, परियोजना की EMP के अंतर्गत मत्स्य प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मामला निदेशालय मत्स्य, सिक्किम सरकार के साथ उठाया गया। निदेशालय मत्स्य, सिक्किम सरकार के अधिकारियों द्वारा नवंबर 2023 में परियोजना क्षेत्र का दौरा कर मत्स्य हैचरी के विकास हेतु उपयुक्त स्थल का निर्धारण किया गया। तदनुसार, स्थानिक मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से ग्राम सिक्किप, जिला सोरेंग में हैचरी के निर्माण हेतु एक स्थल चिन्हित किया गया। इस संबंध में, निदेशालय मत्स्य, सिक्किम सरकार द्वारा “हैचरी की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR)” शीर्षक से रु. 1.65 करोड़ की वित्तीय लागत वाला प्रस्ताव परियोजना (JPCL, NHPC की सहायक कंपनी) को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्ताव की परियोजना द्वारा राज्य

		मत्स्य विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से समीक्षा की गई। तदनुसार, परियोजना द्वारा राज्य मत्स्य विभाग, सिक्किम सरकार से DPR, मत्स्य हैचरी के स्थल एवं लागत अनुमान की समीक्षा कर मत्स्य प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन हेतु नवीनतम DPR JPCL को पत्र दिनांक 10.10.2024 के माध्यम से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। मत्स्य प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित DPR सिक्किम सरकार द्वारा तैयार कर लिया गया है। तथापि, संशोधित DPR के संबंध में मांग-पत्र (Demand Note) सिक्किम सरकार से अभी प्राप्त होना अपेक्षित है। परियोजना द्वारा राज्य मत्स्य विभाग से उक्त मांग-पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्र दिनांक 04.02.2026 के माध्यम से किया गया है।
भाग-ब: सामान्य शर्तें :		
i	परियोजना के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए पर्याप्त निःशुल्क ईंधन की व्यवस्था की जाए ताकि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जा सके।	वर्तमान में ठेकेदार द्वारा अपने मजदूरों को खाने के किए मेस की सुविधा प्रदान की जा रही है।
ii	ईंधन (केरोसिन/लकड़ी/एलपीजी) उपलब्ध कराने के लिए साइट पर ईंधन भंडार खोला जा सकता है। मजदूरों को चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ मनोरंजन की सुविधा भी प्रदान की जानी चाहिए।	ठेकेदारों द्वारा जरूरत के अनुसार स्थानीय बाजार से ईंधन (एलपीजी) खरीदा जा रहा है। ठेकेदारों द्वारा मजदूरों को चिकित्सा सुविधा व मनोरंजन की सुविधा आदि उपलब्ध कराई जा रही है।
iii	निर्माण कार्यों में लगाए जाने वाले सभी मजदूरों की स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए तथा कार्य-अनुज्ञा जारी करने से पहले उनका पर्याप्त इलाज किया जाना चाहिए।	मजदूरों को काम में लगाने से पहले उनकी स्वास्थ्य की जांच की जाती है। मजदूरों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जेपीसीएल/ठेकेदारों द्वारा कोविड-19 के लिए मजदूरों का टीकाकरण किया गया है।
iv	निर्माण क्षेत्र तथा डम्पिंग स्थलों पर उत्खनित सामग्री के निपटान समतल करके, गड्ढों को भरकर, भूनिर्माण कार्य आदि द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उपयुक्त वृक्षारोपण के साथ क्षेत्र का उचित उपचार किया जाना चाहिए।	इस संबंध में, परियोजना क्षेत्र में भूनिर्माण के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं- - सिक्किप कार्यालय परिसर में स्थानीय प्रजातियों जैसे आंवला, टंकी आदि के साथ वृक्षारोपण किया जा रहा है। - ढलान संरक्षण उपायों के रूप में स्थानीय पत्थरों का उपयोग करके सिक्किम कॉलोनी में परियोजना के क्षेत्र का भूनिर्माण किया गया है। इसके अलावा, परियोजना के अन्य क्षेत्रों में निर्माण कार्य चल रहा है। इसलिए, परियोजना के सक्रिय डंपिंग स्थलों सहित इन क्षेत्रों को शेष निर्माण कार्यों के पूरा होने के बाद उपयुक्त भूनिर्माण उपायों के साथ पर्यावरण-पुनर्स्थापित किया जाएगा।

v	उपरोक्त सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना के कुल बजट में पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए जाने चाहिए।	उपरोक्त सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।
vi	सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी हेतु मंत्रालय के परामर्श से एक बहु-विषयक निगरानी समिति का गठन पारिस्थितिकीविद्, पर्यावरण वैज्ञानिकों, संरक्षणवादियों और अनुभवी प्रशासकों आदि के साथ किया जाना चाहिए।	अपर निदेशक (आईए), MoEF, नई दिल्ली द्वारा पत्र दिनांक 14.01.2009 के माध्यम से एक निगरानी समिति का गठन किया गया था तथा समिति की चार बैठकें आयोजित की गई थीं। तथापि, परियोजना के बंद रहने के कारण निगरानी समिति की आगे की बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। तत्पश्चात, मार्च 2021 में मेसर्स JPCL का NHPC लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण किए जाने के उपरांत, पत्र संख्या F.No. J-12011/11/2007-IA.I(R) दिनांक 23.09.2022 के माध्यम से एक नई बहुविषयक निगरानी समिति (MDC) का गठन किया गया। MDC की बैठक दिनांक 18.02.2025 को आयोजित की गई तथा बैठक के कार्यवृत्त (MoM) को वन एवं पर्यावरण विभाग, सिक्किम सरकार द्वारा पत्र दिनांक 24.03.2025 के माध्यम से MoEF&CC को प्रस्तुत किया गया।
vii	छह मासिक निगरानी रिपोर्ट मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग को समीक्षा हेतु प्रस्तुत की जानी चाहिए।	पिछले परियोजना प्रस्तावक (मेसर्स जेपीसीएल) ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पत्र संख्या JT:ADMN:2014 दिनांक 12.01.2015 के माध्यम से मंत्रालय को प्रेषित की थी। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा 30.03.2021 को परियोजना/जेपीसीएल का अधिग्रहण करने के बाद एवं 23.02.2022 को एमओईएफवसीसी के पत्र के अनुसरण में, पिछली छमाही रिपोर्ट मंत्रालय तथा कोलकाता में एमओईएफ&सीसी के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को पत्र दिनांक 02.12.2025 के द्वारा क्रमशः ईमेल आईडी: iro.kolkatamefcc@gov.in एवं munnashah@gov.in के माध्यम से संलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

रंगित-IV जलविद्युत परियोजना के पर्यावरण प्रबंधन योजना पर किए गए व्यय का विवरण।

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित लागत (₹ लाख)	कुल व्यय (रुपये में, 30.03.2021 तक, (एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण से पहले)	व्यय (रुपये में) (एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण के बाद) मार्च, 2026 तक व्यय
1	श्रमिक शिविरों में स्वच्छता सुविधाएं	10.0	4,94,343.00	27,16,548.52*
2	ठोस अपशिष्ट संग्रह एवं निपटान प्रणाली	29.9	8,08,572.00	3,03,400.00*
3	सड़कों के निर्माण के कारण प्रभावों का प्रबंधन	142.9	66,47,365.00	84,59,562.00
4	खनन स्थलों का जीर्णोद्धार	16.1	---	---
5	खनन स्थलों के निर्माण स्थलों का जीर्णोद्धार एवं भूनिर्माण	3.0	19,000.00	---
6	हरित पट्टी विकास	3.1	5,40,732.00	---
7	प्रतिपूरक वनरोपण	52.8	67,57,337.00	66,26,576.00
8	सार्वजनिक स्वास्थ्य वितरण प्रणाली	105.1	21,88,804.00	34,88,152.00*
9	निर्माण स्थलों पर सेटलिंग टैंक का निर्माण	5.0	4,61,725.00	---
10	मत्स्य पालन का निर्वाह	75.0	-----	---
11	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	346.59	2,00,00,000 (वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव प्रबंधन विभाग, राज्य सरकार, सिक्किम को जमा)	---
12	जलाशय रिम उपचार योजना	41.0	-----	190,730,175.00
13	वन संरक्षण योजना	52.2	ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है	2,65,38,845.74*
14	वन्यजीव संरक्षण योजना		एमओईएफ के पत्र सं. 3- एसकेसी 072/2007- एसएचआई/2419 दिनांक 26 दिसंबर 2007 (बिंदु-v) के अनुसार प्रस्तावित विशेष वन्यजीव संरक्षण योजना निरर्थक प्रतीत होती है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है।	---
15	पुनर्वस एवं पुनर्स्थापना योजना	50.0	43,99,000.00	---
16	मलबा प्रबंधन योजना	142.5	3,17,90,471.00	---
17	उपकरणों की खरीद	7.5	1,83,928.00	1,187,296.00
18	ओ एंड एम लागत	53.2	-----	---

19	निर्माण चरण के दौरान पर्यावरण निगरानी	26.5	15,12,901.00	3,132,694.00 [#]
20	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति का नवीनीकरण w.e.f. 2014-15 से 2022-23		-----	66,05,000.00
	कुल योग (₹)	1162.39	7,58,04,178.00	24,97,88,249.26
कुल खर्च का योग (₹)		32,55,92,427.26 (Say, Rs 3255.92 Lakh)		
* यह व्यय रंगित-IV जल विद्युत परियोजना के प्रमुख ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है।				
# यह व्यय रंगित-IV जल विद्युत परियोजना प्रतिष्ठान तथा परियोजना के प्रमुख ठेकेदारों, दोनों द्वारा किया जा रहा है। परियोजना द्वारा रु. 29,70,874/- तथा प्रमुख ठेकेदारों द्वारा रु. 1,61,820/- का व्यय किया गया है.				

नोट: यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को संबंधित अवधि के लिए भेजे गए अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी रिपोर्ट के अर्थ को ही अंतिम माना जाए।

.....